राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3384/2023

अजय प्रताप सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, निदेशालय, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.10.2022
आदेश की दिनांक : 21.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री भरत यादव, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल–2 (अग्रेंजी) के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, एकरानी, पाटोदी, बाडमेर में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक (अंग्रेजी) लेवल–2 के पद पर आदेश दिनांक 07.04.2015 को हुई थी। अपीलार्थी तब से ही वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के विज्ञापन दिनांक 17.06.2023 के माध्यम से प्रतिवादियों के साथ नियोजित विभिन्न शिक्षको/कार्मिकों की नियुक्ति के उद्देश्य से एक विज्ञापन जारी किया। जिसमें एक परीक्षा एक ही बार में आयोजित की जानी थी। काउंसलिंग के आधार पर रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 30 अंकों के लिए राउंड, जो आदेश दिनांक 31.07.2023 द्वारा जारी स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किया गया था। अपीलार्थी ने उपरोक्त परीक्षा में 30 में से 27.75 अंक प्राप्त किए। अपीलार्थी ने उपरोक्त विज्ञापन जारी होने के बाद अपीलार्थी ने 19.06.2023 को आवेदक आईडी 58496 के साथ जिला टोंक में रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया। आदेश दिनांक 05.10.2023 जारी करने के बाद भी अध्यापक लेवल–2 (अग्रेंजी) के दो पद जिला टोंक में अभी भी रिक्त है। अपीलार्थी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी विभाग से आवेदन किया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को जिला टोंक में अध्यापक लेवल–2 (अग्रेंजी) के रिक्त पद पर नियुक्ति दिए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य